कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत नगर, बीकानेर

क्रमांकः– 391 दिनांकः– 02.02.21

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
जिला बीकानेर।

विषयः– राजस्थान सम्पर्क परिवाद श्री ज्ञानेश कुमार के संबंध में।
प्रसंगः– सीएम हेल्प लाईन नम्बर परिवाद संख्या 01210679246788 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एंव प्रसंग मे निवेदन है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल से उक्त परिवाद प्राप्त होने पर परिवाद जांच हेतू थानाधिकारी पुलिस थाना नयाशहर जिला बीकानेर को भिजवायी जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिनकी रिपोर्ट के अनुसार सम्पर्क परिवाद के संबंध मे परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार दिनांक 18.12.2020 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत देने पहूँचा पति 03 से ही हिरासत में बंद दिनांक 16.12.2020 को गश्त के दौरान पुलिस कन्ट्रोल रूम बीकानेर से इत्तला मिली की मुक्ताप्रसाद सैक्टर नम्बर 14 से दीपिका नाम की महिला फोन कर रही है कि मुझे ससुराल पक्ष के लोग परेशान कर रहे है व महिला ने कुछ रिकॉर्डिंग व मोबाईल नम्बर भेजे इन नम्बरो पर समझाईश व गाली गलौच नही करने बाबत वार्ता की गयी व नाम पता पूछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम यश शर्मा बताया और कहा मेरे पास बहूत कुछ है। मैं अभी थाना आउँ या सुबह थाना आउँ तब हैडकानि. जयप्रकाश ने कहा कि अभी आ जाओं एचसी की चेतक ड्यूटी थी गश्त करता रहा थोडी देर बाद हैडकानि के मोबाईल पर फोन आया कि मैं थाना आ गया हूँ। तब हैडकानि. मय जाप्ता के थाना पर पहूँचा तो परिसर में खडे व्यक्ति से नाम पता पूछा कि आप ही यश शर्मा हो तो उसने आवेश में आकर कहा कि मैं ही हूँ यश शर्मा आपने फोन कैसे कर दिया। दीपिका मेरी पत्नी थी। अब हम दोनों के बीच विवाद चल रहा है और मैंने उसके भाई को गाली गलौच की व उसकों भी मारूंगा और वह आवेशित हो गया जिसकों समझाईस की गयी परन्तु नही माना व अधिक आवेश में आकर हैडकानि व अन्य पुलिस जाप्ते से उलझने लग गया जिस पर उक्त शख्स को काबू में कर नाम पता पूछा तो उस शख्स ने अपना नाम आलोक शर्मा पुत्र श्री ब्रजमोहन जाति ब्राहमण उम्र 28 साल निवासी 3/75 मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर बताया। संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतू मौका की परिस्थियों को देखते हुए कर्ता जूर्म धारा 151 सीआरपीसी में उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया यदि शख्स आलोक शर्मा को मौका पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो शख्स अवश्य ही कोई संज्ञेय अपराध कारित करता इसलिए गिरफ्तार किया गया। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

(सुभाष शर्मा)
वृताधिकारी
वृत नगर, बीकानेर

कार्यालय पताः– थाना परिसर कोतवाली, बीकानेर। दूरभाष– 0151 2226118 ईमेल–cocitybkr@gmail.com